न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला – पाली (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी :– श्री राजेन्द्रसिंह आर.ए.एस.

राजस्व विविध संख्या :– 75/2018
आर.सी.एम.एस. :– 2018/00117
दायर तिथि :– 25.10.2018
तारीख निर्णय :– 11.12.2019

प्रार्थी :–

1. चेतेन्द्र राठौड़ पुत्री नारायणसिंह, जाति – राजपूत
   निवासी – खिन्दारागांव, तहसील – सुमेरपुर (पाली)

ब ना म

प्रविादीगण :–

1. भूमिधारी (तहसीलदार) सुमेरपुर, जिला पाली (राज.)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) आर.टी.एक्ट, 1955

–: निर्णय :– **दिनांक : 11.12.2019**

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। सरकारी पैरोकार उपस्थित।

प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में जाहिर किया कि प्रार्थिया की खातेदारी कृषि भूमि सरहद खिन्दारागांव, तहसील सुमेरपुर में खसरा नं. 858 रकबा 2.08 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम आई हुई स्थित है। जिसके दक्षिण दिशा की ओर अप्रार्थी की राजकीय सिवायचक भूमि आयी हुई स्थित है। जिसके खसरा नं. 857 रकबा 1.84 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नं. 850 रकबा 2.34 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम आई हुई है, जिस भूमि में खसरा नं. 850 के उत्तरी माठ के सहारे सहारे पूर्व से पश्चिम की ओर होते हुए खसरा नं. 857 के पूर्वी माठ के सहारे सहारे दक्षिण से उत्तर की ओर होते हुए कदमी रास्ता है, जिस रास्ते का उपयोग व उपभोग प्रार्थिया करती आ रही है। प्रार्थिया के खेत खसरा नं. 858 में आने जाने हेतु खसरा नं. 850 के उत्तरी माठ के सहारे सहारे पूर्व से पश्चिम की ओर होते हुए खसरा नं. 857 के पूर्वी माठ के सहारे सहारे दक्षिण से उत्तर की ओर होते हुए कदमी रास्ते से निकल रहे। जो रास्ता संलग्न नजरी नक्शे में बरंग लाल रंग से दर्शाया गया कदमी रास्ता है, जो रास्ता राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं जिससे अप्रार्थी के कर्मचारी आने जाने में रूकावट पैदा करते है। जिस रास्ते का उपयोग प्रार्थी अपने खेत में आने जाने के लिए पीढियों से करता आ रहा है। जिस रास्ते को राजस्व रेकर्ड में दर्ज किये जाने पर रास्ते की भूमि की वर्तमान डीएलसी की दुगनी राशि प्रार्थिया अदा करने को तैयार है।

कि सरकारी पैरोकार द्वारा प्रस्तुत जवाब दिनांक 22.10.2019 व जवाब के साथ संलग्न हल्का पटवारी सिन्दरू की रिपोर्ट दिनांक 14.10.2019 का अवलोकन किया गया। जिसमें पाया गया कि प्रार्थिया द्वारा अपने खेत मौजा खिन्दारागांव में आने जाने हेतु रास्ता खसरा नं. 850 के उत्तरी माठ के सहारे सहारे पूर्व से पश्चिम की ओर होते हुए खसरा नं. 857 के पूर्वी माठ के सहारे सहारे दक्षिण से उत्तर होकर बताया गया है, जो रास्ता प्रस्तुत रिपोर्ट में दर्शित नजरी नक्शा अनुसार लाल रंग से प्रस्तावित रास्ता बताया गया है तथा यह भी बताया गया है कि प्रार्थिया की भूमि में जाने हेतु संबसे नजदीकी खसरा नं. 850 व 857 में होकर ही है, और कोई नजदीकी रास्ता उपलब्ध नहीं है। जो रास्ता खसरा नं. 850 में से 4 मीटर चौडा व 108 मीटर लम्बाई में व 857 में से 4 मीटर चौडा व 107 मीटर लम्बाई आया हुआ स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल 860 वर्गमीटर अर्थात 0.0860 हैक्टेयर है।

फलस्वरूप उल्लेखित विश्लेषण विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेज जमाबंदी संवत 2073–76, नक्शा ट्रेस इत्यादि तथा पटवारी, व भू अभिलेख निरीक्षक व तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुष्टि होती है। जिसके फलस्वरूप हमारे विधिक मतानुसार प्रार्थीगण का कथित प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थिया को उल्लेखित अपनी खातेदारी भूमि पर कृषि कार्य व देखभाल करने हेतु आने–जाने व सुखाधिकार के लिए कतिपय प्रावधानों के तहत प्रस्तावित रास्ता भूमि को सार्वजनिक रूप से गै.मु..रास्ता भूमि घोषित करना उचित समझते हैं।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर (पाली)

Scanned by CamScanner

अतः उपरोक्त विश्लेषण व विवेचन तथ्यों के परिणामतः कथित प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण के स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा खिन्दारागांव, पटवार हल्का सिन्दरू तहसील सुमेरपुर में स्थित प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नं. 858 में आने जाने हेतु अप्रार्थी की अप्रार्थी की राजकीय सिवायचक भूमि खसरा नं. 857 रकबा 1.84 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नं. 850 रकबा 2.34 हैक्टेयर भूमि के उत्तरी माठ के सहारे सहारे पूर्व से पश्चिम की ओर होते हुए खसरा नं. 857 के पूर्वी माठ के सहारे सहारे दक्षिण से उत्तर की भूमि जो संलग्न नजरी नक्शा में बरंग–लाल से दर्शित है। प्रस्तावित रास्ता भूमि को इस शर्त पर सार्वजनिक उपयोग हेतु गै.मु. रास्ता घोषित किया जाता है कि उपरोक्त घोषित रास्ता के लिए प्रार्थिया नियमानुसार वर्तमान प्रचलित बाजार दर (DLC) के आधार पर तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा मूल्यांकन करके (DLC) की राशि की दो–गुणा राशि प्रार्थिया द्वारा नियमानुसार राजकीय खाते में जमा करवाई जावें। तद्परान्त तहसीलदार सुमेरपुर व पटवार हल्का सिन्दरू माफिक आदेश अनुसार राजस्व रेकर्ड में घोषित रास्ता भूमि को सार्वजनिक उपयोग हेतु बतौर गै.मु. रास्ता दर्ज कर व तरमीम कर पालना सुनिश्चित करें। नजरी नक्शा इस आदेश का अभिन्न भाग माना जायेगा।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 11.12.2019 को सरेइजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर (पाली)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Singh
Date: 2019.12.13 18:18:38 IST
Reason: SelfAttested
Location: